रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 1982/माघ 27, 1903
No. 55] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 1982/MAGHA 27, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1982

का. आ. 81 (अ)/18-एफ बी/आई डी आर ए/82 :—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ 105 (अ)/18 एफ बी /आई. डी आर ए/78 तारीख 17 फरवरी, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), की धारा 18-क्ष की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जिनका सम्बन्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनका मध्य प्रदेश स्थित इन्दौर टैक्सटाइल्स लिमिटेड, उज्जैन के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो सकते हैं, प्रवर्त्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और कि उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

और उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 16 फरवरी, 1982 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 11 अगस्त, 1982 तक की और अवधि के लिए, जिससे अन्तर्गत यह तारीख भी है, बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क्ष की उप-धारा (2) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 11 अगस्त, 1982 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा. सं 3(1)/81-सी. यू. एस.]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1982

S.O. 81(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 105(E)/18FB/IDRA/78, dated the 17th February, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than these relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Indore Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations, and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said order was extended upto and inclusive of the 16th February, 1982;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto the 11th August, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of the 11th August, 1982.

[F. No. 3(1)/81-CUS.)]

S. L. KAPUR, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982